

फॉर्म एल-15-ऋण अनुसूची
ऋण

(राशि लाख रुपये में)

| | विवरण | 31.03.2022 के अनुसार (अंकेक्षित) | 31.03.2021 के अनुसार (अंकेक्षित) |
|----------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | प्रतिभूति-वार वर्गीकरण | | |
| | रक्षित | | |
| | (a) संपत्ति के बंधक रखने पर | | |
| | (aa) भारत में | 10,89,893.68 | 11,97,071.34 |
| | (bb) भारत के बाहर | 1,093.19 | 1,246.06 |
| | (b) शेयरों, बंधपत्रों, सरकारी प्रतिभूतियाँ, आदि। | - | - |
| | (c) पॉलिसियों पर ऋण | 1,04,42,616.42 | 1,01,03,158.25 |
| | (d) अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है) | | |
| | (aa) ए एन एफ अग्रिम | 0.02 | 0.02 |
| | (bb) सरकार द्वारा गारंटीकृत | 2,66,430.60 | 3,70,692.04 |
| | (cc) दृष्टिबंधक | 87,338.78 | 86,974.66 |
| | असुरक्षित | 2,25,011.01 | 2,81,322.17 |
| | संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान | (11,24,820.13) | (12,62,130.78) |
| | कुल | 1,09,87,563.57 | 1,07,78,333.76 |
| 2 | उधारकर्ता-वार वर्गीकरण | | |
| | (a) केंद्र और राज्य सरकारें | 1,87,437.49 | 2,33,074.89 |
| | (b) बैंक और वित्तीय संस्थान | - | - |
| | (c) सहायक कंपनियों | - | - |
| | (d) कंपनियों | 10,73,195.45 | 11,62,395.06 |
| | (e) पॉलिसियों पर ऋण | 1,04,42,616.42 | 1,01,03,158.25 |
| | (f) अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है) | | |
| | बंधक संपत्ति | 30,234.56 | 32,978.32 |
| | नगरपालिकाएँ | 4,452.50 | 5,280.53 |
| | राज्य बिजली बोर्ड | 86,090.19 | 1,30,493.47 |
| | राज्य सड़क परिवहन निगम | 616.00 | 616.00 |
| | सहकारी औद्योगिक संपदा | - | - |
| | चीनी सहकारी समितियाँ | - | - |
| | आवास सहकारी समितियाँ | 26,572.06 | 38,233.64 |
| | सिंचाई क्षेत्र | 1,999.98 | 2,666.64 |
| | डबल्यूएसबी, एसएफसी, पीटीआर, ओटीएच, एलडीबी आदि | 2,59,168.41 | 3,31,567.10 |
| | एएनएफ अग्रिम | 0.02 | 0.02 |
| | असुरक्षित ऋण | 0.62 | 0.62 |
| | अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान | (11,24,820.13) | (12,62,130.78) |
| | कुल | 1,09,87,563.57 | 1,07,78,333.76 |
| 3 | निष्पादनवार वर्गीकरण | | |
| | (a) वर्गीकृत मानक ऋण | | |
| | (aa) भारत में | 1,10,15,087.74 | 1,08,10,504.29 |
| | (bb) भारत के बाहर | 15,258.18 | 15,907.81 |
| | मानक ऋणों के लिए प्रावधान | (50,600.70) | (11,310.53) |
| | (b) गैर-मानक ऋण घटा प्रावधान | | |
| | (aa) भारत में | 10,81,108.57 | 12,12,992.67 |
| | (bb) भारत के बाहर | 929.21 | 1,059.15 |
| | गैर-मानक ऋणों के लिए प्रावधान | (10,74,219.43) | (12,50,819.63) |
| | कुल | 1,09,87,563.57 | 1,07,78,333.76 |
| 4 | परिपक्वता-वार वर्गीकरण | | |
| | (a) अल्पावधि | 4,86,163.30 | 10,17,813.44 |
| | अल्पावधि के लिए प्रावधान | (4,50,845.70) | (4,41,711.59) |
| | (b) दीर्घावधि | 1,16,26,220.40 | 1,10,21,024.78 |
| | दीर्घावधि के लिए प्रावधान | (6,73,974.43) | (8,18,792.87) |
| | कुल | 1,09,87,563.57 | 1,07,78,333.76 |

टिप्पणी:

क) अल्पकालिक ऋण में वे ऋण होंगे जो तुलन पत्र की तारीख से 12 महीनों के भीतर चुकाने योग्य हैं। दीर्घावधि ऋण अल्पकालिक ऋणों के अलावा अन्य ऋण होंगे।

ख) गैर-निष्पादित ऋणों के लिए प्रावधान अलग से दर्शाए जाएंगे।

ग) सभी दीर्घकालिक सुरक्षित ऋणों के मामले में सुरक्षा की प्रकृति प्रत्येक मामले में निर्दिष्ट की जाएगी। इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए सुरक्षित ऋण का अर्थ है कंपनी को संपत्ति पर पूर्ण या आंशिक रूप से सुरक्षित ऋण।

घ) संदिग्ध माने जाने वाले ऋण और ऐसे ऋणों के लिए सृजित प्रावधान की राशि का खूलासा किया जाएगा।

| गैर-निष्पादित ऋणों के लिए प्रावधान | | | |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | गैर - निष्पादित ऋण | ऋण राशि (₹. लाख) | प्रावधान (₹. लाख) |
| | गैर-मानकीय | 10,803.88 | 3,056.23 |
| | संदिग्ध | 1,75,208.21 | 1,75,137.51 |
| | नुकसान | 8,96,025.69 | 8,96,025.69 |
| | कुल | 10,82,037.78 | 10,74,219.43 |

नोट: हिन्दी फॉर्म के किसी भी प्रावधानों में अस्पष्टता होने की स्थिति में अंग्रेजी वर्जन में उल्लेखित प्रावधानों को सही माना जाएगा।